patrolling in order to check effectively the infiltration of Bangladesh nationals into India.

2643. [*Transferred to the 19th December*, 1983.]

हिन्दी अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

2644. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री रामलखन प्रसाद गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों का अध्ययन करने के लिए सरकार इस प्रयोजन से एक "संवर्ग पुनरीक्षा समिति" स्थापित करने का विचार रखती है कि उनके लिए नौकरियों की सुरक्षा तथा पदोन्नति के अवसरों की समुचित व्यवस्था की जाये, जिससे कि वे हिन्दी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने, इसके प्रचार और प्रसार इत्यादि के कार्यों में अपनी सक्षम भूमिका अदा कर कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तथा (ख) सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों में, कुछ को छोड़ कर, हिन्दी से संबंधित विभिन्न पदों को, जिनमें हिन्दी अधिकारी के पद शामिल हैं, एक संयुक्त काडर, नामत: "केन्द्रीय सचिवालय राज भाषा सेवा" के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है। इस सेवा के अराजपत्रित पदों का आरंभिक गठन पहले ही पूरा कर लिया गया है और सेवा के राजपत्रित पदों के आरंभिक गठन के संबंध में कार्रवाई जारी है। विभिन्न वर्गों के हिन्दी पदों में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। काडर का पुनरीक्षण, आवश्यकता होने पर, सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात् किया जा सकता है।

इस समय अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी से संबंधित पद किसी संगठित काडर में शामिल नहीं हैं, इसलिए काडर पुनरीक्षण समिति के गठन का प्रश्न नहीं उठता है।

Central Government employees Consumer Cooperative Society Limited

2645. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the composition of the Board of Directors and the Board of Administration (elected as well as nominated directors) of the Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited, New Delhi for the year 1983-84 cooperative year;

(b) whether the necessary permission of the Lt. Governor of Delhi for nominating 8 Directors on the Board of Directors in lieu of 3, as stipulated in the provisions contained in the Delhi Cooperative Societies Act has since been obtained and the same has been published in the Delhi Gazette; and

(c) whether a copy of the said Delhi Gazette is proposed to be placed on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) The composition of the two Boards is as follows:—

	Board of Directors	Board of Administration
Nominated Directors (including Chairman)	9	4
Elected Directors	8	3

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.